दिनाक 22.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–22/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0– साहसिक मुठभेड़ में थाना खैरागढ, आगरा मे वांछित व रू0 50,000/का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी गब्बर सिंह गुर्जर जनपद आगरा में गिरफ्तार।

दिनांक 21–02–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को मु0अ0सं0 149/2020 धारा 147/148/149/332/353/504/307/302/34 भादंवि. व 3/57/7 खनिज परिहार अधि. थाना खैरागढ, आगरा के सिपाही सोनू को कुचलकर हत्या करने मे वांछित व रू0 50,000/का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी **गब्बर सिंह** को साहसिक पुलिस मुठभेड के बाद थाना खैरागढ, जनपद आगरा क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– गब्बर सिंह पुत्र एदल सिंह निवासी खडगपुर, थाना कौलारी़ जिला धौलपुर राजस्थान।

बरामदगीः

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 अदद मोटर साईकिल नम्बर यू0पी080 सीसी 8954
5. 01 अदद आधार कार्ड
6. 1060 रूपये नकद

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक</u> — ग्राम होशियापुर के आगे नवाब बसई राजस्थान बॉर्डर से करीब 500 मीटर पहले थाना क्षेत्र खैरागढ जनपद आगरा दिनांकः 21—02—2021, समय 22:20 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित/पुरूस्कार घोषित अपराधियों व अपहरण की घटनाओं में सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0 149/2020 धारा 147/148/149/332/353/504/307/302/34 भादंवि. व 3/57/7 खनिज परिहार अधि. थाना खैरागढ, आगरा मे वांछित अपराधी गब्बर सिंह पुत्र एदल सिंह निवासी खडगपुर, थाना कौलारी, जिला धौलपुर राजस्थान, थाना खैरागढ, आगरा क्षेत्र में ही है। इस सूचना को विकसित करते हुए उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, उपनिरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 बृजराज सिंह कान्स0 विवेक सिंह, कान्स0 अंकित गुप्ता, मु0आ0प्रो0 कमाण्डो राजपाल सिंह, आरक्षी चालक रामदीन एस0टी0एफ0 आगरा की एक टीम गठित कर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर बताये गये स्थान पर पहॅुचकर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए घेराबन्दी की गयी। थोड़ी देर बाद दो संदिग्ध व्यक्ति मोटर साईकिल से आते दिखाई दिये जिसे टार्च की रोशनी मे रूकने का संकेत दिया इस पर मोटर साईकिल सवार व्यक्तियो ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल को बाएं तरफ मोड़ का भागने का प्रयास किया लेकिन रास्ता उबर/खाबड होने व पुलिस पार्टी के रोकने के कारण मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई फिर दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो ने मोटरसाइकिल छोड़कर खड़े होकर अपने हाथों में तमंचा लेकर पुनः जान से मारने की नियत से

फायरिंग कर दी, जिसमे हम पुलिस वाले बाल—बाल बचे। एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अदम्य साहस व वीरता का परिचय देते हुये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सिखलाये गये तरीके से आत्मरक्षार्थ अन्य कोई विकल्प न पाते हुये उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, उपनिरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह व कान्स0 विवेक सिंह द्वारा फायर किया गया। तत्पश्चात मोटर साईकिल छोड़कर भाग रहे बदमाशो मे से एक बदमाश जो गोली लगने से घायल होकर गिर गया व दूसरा बदमाश रवि पुत्र मोहर सिंह निवासी खडगपुर थाना कौलारी जिला धौलपुर राजस्थान अंधेरा व भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा कर भाग गया। मुठभेड के दौरान अभियुक्त गब्बर सिंह उपरोक्त के दाये पैर पर गोली लगी। घायल अभियुक्त गब्बर सिंह उपरोक्त को एस0एन0 मेडीकल कालेज आगरा में उपचार हेतु भर्ती कराया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों दिनांक 08.11.2020 की रात को कुछ ट्रैक्टर के साथ खनन करते हुए आ रहे थे तभी थाना सैया पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो हम लोगो ने पुलिस वालों पर अपने बचने के लिए अवैध हथियारों से जान से मारने की नियत से फायर किए व रोकने का प्रयास कर रहे पुलिस बालों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना के बाद पता चला कि थाना सैया के सिपाही सोनू की मृत्यु हो गई है ।

उक्त पुलिस मुठभेड़ / बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खैरागढ, जनपद आगरा में सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गब्बर सिंह पुत्र एदल सिंह निवासी खडगपुर थाना कौलारी जिला धौलपुर राजस्थान का अपराधिक इतिहासः</u>

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	31 / 2021	307 / 504 भादवि (पुलिस मुठभेड़)	खैरागढ,	आगरा
2	32 / 2021	03 / 25 आर्म्स एक्ट	खैरागढ,	आगरा

3	149/2020	147/148/149/332/353/504/307/302/34 भादंवि. व 3/57/7 खनिज परिहार अधि.	बरहन	आगरा
4	166/2020	307/504 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 03/25 आर्म्स एक्ट	बरहन	आगरा
5	204/2020	307/504 भादवि (पुलिस मुठभेड़)	सैया	आगरा

एस0टी0एफ0— अवैध तरीके से तस्करी कर पूर्वोत्तर राज्यों में भेजी जाने वाली लगभग 01 करोड़ रूपये मूल्य की फेन्साडिल सिरप (50700 शीशी) जनपद वाराणसी के थाना रोहनिया क्षेत्रान्तर्गत भुल्लनपुर स्थित गोदाम से ट्रक सहित बरामद, तस्कर गिरोह के 05 सदस्यगण गिरफ्तार।

दिनाक—22.02.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की फील्ड इकाई, वाराणसी को अवैध तरीके से तस्करी कर पूर्वोत्तर राज्यों में भेजी जाने वाले 01 करोड़ रूपये की फेन्साडिल सिरप (50700 शीशी) जनपद वाराणसी के थाना रोहनिया क्षेत्रान्तर्गत भुल्लनपुर स्थित गोदाम से ट्रक सहित बरामद करते हुये तस्कर गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— सुनील पाण्डेय पुत्र रामकृष्ण पाण्डेय निवासी—एस0ए0/8/54, कुन्ती बिहार कॉलोनी, नई बस्ती पाण्डेयपुर, थाना लालपुर पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी।

2— प्रदीप जायसवाल पुत्र प्रेमशंकर जायसवाल निवासी 67/5 ईश्वरगंगी, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी।

3— वीरेन्द्र पासवान उर्फ बबलू पुत्र बसन्त राम पासी, निवासी धर्मापुर, थाना गौरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर।

4— सुनील कुमार सरोज पुत्र लालजी निवासी डीधिया, थाना बडागांव, जनपद वाराणसी।

5— किशन यादव पुत्र श्रीनाथ यादव निवासी अमुआरा, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर

बरामदगीः

1— 50700 शीशी फेन्साडिल सिरप (बाजार मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये)।

2— 01 अदद ट्रक

3— 05 अदद मोबाइल फोन।

4— 4040/—रू0 नगद।

गिरफ्तारी/बरामदगी का दिनांक व स्थान

दिनांक 22—02—2021। प्रदीप जायसवाल का गोदाम, भुल्लनपुर, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्प्रान्तीय गिरोहों द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मादक पदार्थों एवं दवाओं का अवैध तरीके से तस्करी कर पूर्वोत्तर राज्यों में भेजा जा रहा है, जहॉ इन दवाओं का उपयोग नशा करने के लिये किया जा रहा है। इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान पता चला था कि एक गिरोह द्वारा जनपद वाराणसी के थाना रोहनिया क्षेत्रान्तर्गत भुल्लनपुर में कहीं पर गोदाम बनाकर फेन्साडिल सिरप को अवैध रूप से लाकर रखा जाता है और उसके बाद उसे पूर्वोत्तर राज्यों एवं अन्य जगहों पर तस्करी के माध्यम से भेजा जाता है। उक्त अभिसूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की एक टीम निरीक्षक श्री अनिल सिंह के नेतृत्व में औषधि निरीक्षकगण को साथ लेकर धरातलीय सत्यापन कर रही कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा बताया गया कि थाना रोहनिया क्षेत्रान्तर्गत भुल्लनपुर स्थित प्रदीप जायसवाल के मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से फेन्साडिल सिरप तस्करी के लिये रखा गया है और इसे एक ट्रक में लोड किया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर राज्यो में भेजा जायेगा, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उक्त टीम द्वारा विश्वस्त सूत्रों द्वारा बताये गये

स्थान पर पहुॅचकर घेराबन्दी की गयी तो पाया गया कि प्रदीप जायसवाल के मकान में अवैध रूप से रखे गये औषधियों के बीच से फेन्साडिल सिरप के पैकेटों को ट्रक में तस्करों द्वारा लोड किया जा रहा था। मौके से उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करते हुये उक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से विस्तृत पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि फेन्साडिल सिरप कफ सिरप के रूप में उपयोग किया जाता है। फेन्साडिल में कोडिन नामक केमिकल पाया जाता है, जिसे एक साथ अधिक मात्रा में लेने पर नशा होता है। बिहार, प0बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में नशा करने वाले लोग इसका प्रयोग नशीले पदार्थ के रूप में करते हैं और यह सिरप वहॉ पर ऊॅचे दामों पर बिकता। फेन्साडिल सिरप को मेसर्स उमा मेडिकल हाल पता एन–12/340–एस–डब्लू भारतपुरम कॉलोनी देवपोखरी बजरडीहा, थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी के नाम पर सचिन मेडिकोज फार्मास्यूटिकल बजोरिया रोड प्रथम तल थाना जनकपुरी निकट तारावती हास्पिटल जनपद सहारनपुर से मंगाया गया था। इसके अतिरिक्त फेन्साडिल सिरप को अन्य जनपदों से भी तस्करी के माध्यम से लाकर प्रदीप जायसवाल के मकान में रखते थे। बरामद फेन्साडिल सिरप को लोड किया जा रहा था कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त वीरेन्द्र पासवान द्वारा पूछताछ में यह भी बताया कि मतलूब अहमद खान द्वारा मिर्जापुर जनपद से 25 टन चावल का बिल्टी बनवाकर 23 टन चावल लोडकर भुल्लनपुर गोदाम पर बुलवाया गया था। उक्त फेन्साडिल सिरप को चावल की बोरियों के बीच में छुपाकर गुवहाटी (आसाम) पहुचाना था। वहॉ पहुचने के बाद मतलूब अहमद खान बताता कि इसे किसे देना है। इस फेन्साडिल सिरप को पहुॅचाने के लिये 40000/–रू0 प्रति चक्कर उसे अतिरिक्त मिलता है।

उक्त सन्दर्भ में गिरफ्तार अभियुक्तगण को थाना रोहनिया जनपद वाराणसी में दाखिल करके मु0अ0सं0 106/2021 धारा–8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0—अवैध शराब की तस्करी करने वाले 20000/— रूपये के ईनामी अपराधी को एस०टी०एफ० ने जनपद-मुरादाबाद से किया गिरफ्तार।

दिनांक 22.02.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को रू0 20,000/— का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी अनिल सैनी पुत्र जगदीश नि0 गुलाब वाडी थाना—कटघर, मुरादाबाद को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

अनिल सैनी पुत्र जगदीश निवासी गुलाब वाडी थाना—कटघर मुरादाबाद

गिरफ्तारी का स्थानः—

दिनांक 22.02.2021,
स्थानः— ऑटो—स्टैण्ड ट्रान्सपोर्ट नगर, थाना—मझौला जनपद—मुरादाबाद।
समयः— 02.00 दोपहर।

बरामदगीः—

1220/— रूपये नगद
01 अदद एनड्राईड मोबाइल
01 अदद कीपैड मोबाइल

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना एवं अवैध शराब की तस्करी करने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ फील्ड यूनिट बरेली द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 22.02.2021 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर निरीक्षक अजय पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि श्री राघवेन्द्र सिंह, मु0आ0 संदीप सिंह, मु0आ0 नितिन की एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के लिये रवाना हुये और जनपद मुरादाबाद पुलिस के साथ जानकारी साझा करते हुये एक संयुक्त आपरेशन मे वांछित अपराधी अनिल सैनी को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह एल्कोहल से अवैध शराब बनाने और शराब की बोतलों की नकली पैकिगं एवं शराब की बोतलों पर अवैध बार कोड बनाने का काम करता है। इस काम में वह कई बार जेल भी जा चुका है। इसी क्रम में इस पर थाना—मझौला, जनपद मुरादाबाद मे वर्ष 2020 मे एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसके साथी अनिल कसाना पुत्र तेजराम नि0 महमूदपुर लोनी गाजियाबाद और अज्जू नि0 मेरठ को मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और यह वहॉ से भाग निकला था।

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल सैनी को मु0अ0सं0 1405/2020 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम एवं 420/120बी भाद0वि0 में थाना—मझौला मुरादाबाद में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल सैनी का ज्ञात अपराधिक इतिहासः

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	762/15	60(2)/62 आ0 अधि0 व 272/419/420/468 भा0द0वि0	कटघर	मुरादाबाद
2	1353/16	60 आ0अधि0 व 272/273 भा0द0वि0	कटघर	मुरादाबाद
3	634/16	60/72 आ0अधि0	मझौला	मुरादाबाद
4	169/18	60/63 आ0अधि0	कटघर	मुरादाबाद
5	170/18	4/25 आर्म्स एक्ट	कटघर	मुरादाबाद
6	487/17	3(1)गै0 एक्ट	कटघर	मुरादाबाद
7	900/19	60/72 आ0 अधि0	कटघर	मुरादाबाद
8	12/20	323/498ए/504/506 भा0द0वि0	भोजपुर	मुरादाबाद
9	108/20	188 भ0द0वि0	मैनाठेर	मुरादाबाद
10	428/20	60/72 आ0 अधि0 व 272/273/420/467/468 भा0द0वि0	सम्भल	सम्भल
11	886/20	60आ0अधि0व 420/255/468 भा0द0वि0	कटघर	मुरादाबाद
12	1405/20	60/72 आ0 अधि0 व 420/120 वी भा0द0वि0	मझौला	मुरादाबाद

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मड़ियांव

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 04 लाख 50 हजार रूपये नगद बरमद**

दिनांक 21.02.2021 को थाना मड़ियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घैला पुल से घैला गांव जाने वाले रोड के पास से शातिर अभियुक्त रोमी उर्फ रमाशंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 04 लाख 50 हजार रूपये नगद बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद बस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 30.01.2021 को थाना मडियांव क्षेत्रान्तर्गत बैंक से पैसा लेकर घर जाते समय अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोमी उर्फ रमाशंकर निवासी बेहड़पुरवा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लूट का 04 लाख 50 हजार रूपया नगद।

जनपद हापुड/थाना हाफिजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **चोरी के 4500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.02.2021 थाना हाफिजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी आशु चढ्ढा उर्फ मोन्टी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 4500 रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड, जनपद मेरठ, जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशु चढ्ढा उर्फ मोन्टी निवासी मीरपुर कला थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

बरामदगी

1—चोरी के 4500 रूपये नगद

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस

3—01 मोटर साइकिल बरामद

<u>जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिम</u>

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 36 लाख रूपये कीमत की 360 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 21.02.2021 को थाना फतेहगंज पश्चिम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चितौली अंडरपास के पास से मादक पदार्थ तस्कर चिम्मन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 360 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—चिम्मन निवासी वार्ड नं0—07 थाना फतेहगंज पश्चिम जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1— लगभग 36 लाख रूपये कीमत की 360 ग्राम अवैध स्मैक

<u>जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख/संदना</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **17 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 21.02.2021 को थाना मिश्रिख व थाना संदना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान धंधारी जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त सन्दीप उर्फ छोटकन्ने को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 निर्मित, 11 अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर व बाराबंकी के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिश्रिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— सन्दीप उर्फ छोटकन्ने निवासी ग्राम मंसूरपुर नेवादा थाना रामकोट जनपद सीतापुर

बरामदगी

1— 06 निर्मित, 11 अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस,

2— अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

जनपद फतेहपुर/थाना धाता

- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की 02 मोटर साइकिले**
- **अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.02.2021 को थाना धाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिनौता बाईपास रोड़ गोढ़वापर तिराहा से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 बदमाशों 1—मो0 इरफान, 2—पप्पू, 3—इरशाद को गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चोरी

की 02 मोटर साइकिले, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद फतेहपुर, जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आर्म्स एक्ट आदि के 06–06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन थाना धाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2021 धारा 392/504/506 भादवि, व मोटर साइकिले थाना धाता व थाना खखरेरू क्षेत्र में हुई चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना धाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 इरफान निवासी इजुरा बुजुर्ग थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

2–पप्पू निवासी इजुरा बुजुर्ग थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

3–इरशाद निवासी ऊँचाहार थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1–01 लाख 25 हजार रूपये कीमत के लूट/चोरी के मोबाइल फोन व 02 मोटर साइकिल

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस

➢ **प्रदेश में चिन्हित माफिया अपराधियों एवं उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों के विरूद्ध कार्यवाही**

- प्रदेश के 25 कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके तथा गैंग के अपराधियों व उनके सहयोगियों के विरूद्व कार्यवाही की जा रही है। माफिया तथा उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी सम्पत्तियों को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा–14(1) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुये लगभग **517 करोड़** मूल्य से अधिक की सम्पत्ति को जब्त की गयी है। माफिया व उनके परिजनो व सहयोगियों के लगभग **150 से अधिक** शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। इनके विरूद्व पंजीकृत अभियोगों की सघन पैरवी कर सजा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य प्रस्तावित कार्यवाहियां भी लगातार की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 द्वारा वर्ष–2020 में की गयी कार्यवाही का विवरणः–

➢ भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की जीरो टालरेंस की नीति के तहत पुलिस व अन्य विभागों के 271 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जनता के व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

- वर्ष 2020 में 237 व्यक्तियों के विरूद्ध (PC ACT)के मामलों में कार्यवाही संस्तुति की गयी है, जिसमें पुलिस विभाग के 23 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये गये एवं 28 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जाने तथा अन्य विभाग के 46 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये गये एवं 103 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।
- वर्ष 2020 में अन्य मामलों में 34 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही संस्तुति की गयी है, जिनमें पुलिस विभाग के 01 व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग एवं 10 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जाने एवं अन्य विभाग के 21 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।
- इस प्रकार भ्रष्टाचार (PC ACT) के मामलों में 237 एवं अन्य मामलों में 34 कुल–271 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियॉ की गयी है।

<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा)</u>

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभारी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–14 सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा–376/506 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त प्रदीप को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

————————